कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), गुजरात, राजकोट-360 001

सं. प्रशा./ले. व ह./सेवानिवृत्त कार्मिक/खंड-VI/

परिपत्र सं.06 दिनांक 07.06.2022

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखा अधिकारियों, सहायक लेखा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ लेखाकारों से अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित रिक्तियों के लिए निर्धारित प्रोफार्मा (संलग्न) में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र.सं.	पद	कार्यालय
1	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	राजकोट और अहमदाबाद
2	सहायक लेखा अधिकारी	राजकोट और अहमदाबाद
3	लेखाकार	राजकोट

1. पात्रता:

(i) वलेअ/सलेअ के संवर्ग में रिक्तियों के लिए सेवानिवृत्त वलेअ/लेअ भर्ती के लिए पात्र होंगे।

(ii) सलेअ के संवर्ग में रिक्तियों के लिए सेवानिवृत्त सलेअ भर्ती के लिए पात्र होंगे।

(iii) लेखाकार के संवर्ग में रिक्तियों के लिए सेवानिवृत्त पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक और वरिष्ठ लेखाकार भर्ती के लिए पात्र होंगे।

2. नियम व शर्तें:-

(i) कार्यकाल और आयु सीमा:

सेवानिवृत्त अधिकारियों को शुरूआत में एक वर्ष की अवधि के लिए अल्पावधि अनुबंध के आधार पर काम पर रखा जाएगा। अवधि की अधिकतम संख्या पांच तक सीमित होगी। आगे किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी को 65 वर्ष से अधिक आयु के अल्पावधि अनुबंध के आधार पर काम पर नहीं रखा जाएगा।

(ii) पारिश्रमिक और भत्ता:

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक और भत्ते- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25/2020-ई III ए, दिनांक 09.12.2020 द्वारा शासित होंगे, जो कि निम्नांकित हैं:

(क) सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसकी गणना सेवानिवृत्ति के समय लिए गए वेतन से मूल पेंशन को घटाकर की गई।

(ख) निवास स्थान और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के उद्देश्य के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति के लिए लागू दर से अधिक नहीं होगी।

(ग) अनुबंध के दौरान कोई वार्षिक वेतन-वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) छुट्टी:

अल्पावधि अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवा के प्रत्येक समाप्त महीने के लिए 1.5 दिनों की दर से अनुपस्थिति की सवैतनिक छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक की छुट्टी के संचय की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, कर्फ्यू, बंद, हड़ताल, लॉकडाउन के दौरान अनुपस्थिति से उसी तरह से निपटा जाना चाहिए जैसे सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में होता है क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर की घटनाएं हैं। यदि अल्पावधि अनुबंध के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी ऊपर बताए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों से एक महीने में सवैतनिक अवकाश के बाद अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके पारिश्रमिक की कटौती आनुपातिक आधार पर निम्नानुसार की जाएगी:

$$\frac{\text{निश्चित मासिक पारिश्रमिक}}{22} \times \text{कार्य दिवसों पर अनुपस्थिति के दिनों की संख्या}$$

(iv) अल्पावधि अनुबंध के आधार पर काम पर रखने के लिए चुने गए सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी नैतिकता और सत्यनिष्ठा पर एक खंड वाले गोपनीयता के एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

3. पहले से नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारी भी उपरोक्त परिपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं

आई.ए. एंड ए.डी. के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और उपरोक्त कार्य के लिए इच्छुक हैं, वे **06/07/2022** तक संलग्न प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।

संलग्न : आवेदन प्रपत्र

हस्ता/-
वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशा.

प्रति:

1. उप महालेखाकार/ले. व ह., कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),ऑडिट भवन, ईश्वर भुवन के सामने, कॉमर्स सिक्स रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु(फैक्स/ईमेल द्वारा)
2. सूचना पटल - राजकोट
3. आईटीएस अनुभाग-कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने
4. परिपत्र फाइल
5. हिंदी अनुभाग

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशा.